

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक.....12.4.18

संख्या-13/शक्ति प्र0-02/2018 का0- 2486 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 30 दिनांक 06.04.2018 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिका (आम एवं उप) चुनाव में सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 13 पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें communicate किये जाने की तिथि से निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 13/शक्ति प्र0-02/2018 का0.....2486...../

राँची, दिनांक.....12.4.18

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई0- गजट को ई0-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


12.04.2018
सरकार के अवर सचिव।